

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 406 सन 2020

अनवान :-

1. रणवीर पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
3. महावीर प्रसाद पुत्र स्व दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
4. कालुराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
5. कमलेश पुत्र स्व नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. रजीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. मनीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. मंजु पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. धापा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
6. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
7. राजाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
8. दुर्गादेवी पत्नी स्व दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
9. मैनादेवी पुत्री दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
10. मोहनी पत्नी नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
11. मीरा पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
12. विनोद पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
13. कृष्णा पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
14. मनी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
15. नानू देवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
16. आदरराम पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
17. महावीर पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. विमला पुत्री स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 02/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 112/112 की कुल 16.0360 हैक् व खाता संख्या 241/113 की कुल 6.9110 हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.4400 हैक् भूमि वादीगण की दादी चाना पत्नि भादरराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लिछमण पुत्र रावताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लिछमण पुत्र रावताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लिछमण पुत्र रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है इसप्रकार वादीगण की दादी चाना पत्नि भादरराम के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 है जो चानादेवी के नाम दर्ज भूमि पाने के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ,11 ता 15 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री मृतक भवरी देवी के वारिसान है तथा प्रतिवादी

उपस्थित अधिकारी
नोहर

संख्या 1 वादीगण का दादा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादीगण 1 ,2 के पिता इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,11 ता 18 जो वादीगण के दादा/पिता/बहने/बुआ के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देये तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाये की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिय के खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लिछमण पुत्र रावताराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 का बराबर का हक हिस्सा है इसीप्रकार चानादेवी का देहान्त हो चुका है चानादेवी के नाम से दर्ज भूमि के जायज व कानुनी हकदार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,6 अन्य ग्राम में भूमि रख ली है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,11 ता 18 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 19 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 112/112 की कुल 16.0360 हैक व खाता संख्या 241/113 की कुल 6.9110 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.4400 हैक भूमि वादीगण की दादी चाना पत्नि भादरराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लिछमण पुत्र रावताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लिछमण पुत्र रावताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लिछमण पुत्र रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है इसप्रकार वादीगण की दादी चाना पत्नि भादरराम के देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 18 है जो चानादेवी के नाम दर्ज भूमि पाने के हकदार है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 ,11 ता 15 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री मृतक भवरी देवी के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का दादा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादीगण 1 ,2 के पिता इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,11 ता 18 जो वादीगण के दादा/पिता/बहने/बुआ के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा

उपस्थित अधिकारी
तोहर

है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में

न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी राहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 112/112 की कुल 16.0360हैक् व खाता संख्या 241/113 की कुल 6.9110हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.4400हैक् भूमि वादीगण की दादी चाना पत्नि भादरराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भू0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि लिछमण वल्द रावताराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लिछमण वल्द रावताराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा लिछमण वल्द रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 बहिब के हकदार है इसीप्रकार वादी की दादी चानादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 11 ता 18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 11 ता 18 स्वयं उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 11 ता 18 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 112/112 की कुल 16.0360हैक् जो भादर वल्द लिछमण व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.4400हैक् चाना पत्नि भादरराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजज किया जाकर दोनों खातों में वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिब 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/113 की कुल 6.9110हैक् भूमि में सयुक्त तोर से 5.646हैक् भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिब 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिब 1/4 हिस्सा वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/05/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रणवीर पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर हनुमानगढ ।
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
3. महावीर प्रसाद पुत्र स्व दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
4. कालुराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
5. कमलेश पुत्र स्व नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
2. रजीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
3. मनीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
4. मंजु पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
5. धापा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
6. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
7. राजाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
8. दुर्गादेवी पत्नी स्व दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
9. मैनादेवी पुत्री दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
10. मोहनी पत्नी नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
11. मीरा पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
12. विनोद पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
13. कृष्णा पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
14. मनी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
15. नानू देवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर ।
16. आदराम पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
17. महावीर पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
18. विमला पुत्री स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 406 सन 2020 निर्णय दिनांक- 02/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 112/112 की कुल 16.0360 हैक् जो भादर वल्द लिछमण व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.4400 हैक् चाना पत्नि भादरराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातों में वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिव 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिव 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/113 की कुल 6.9110 हैक् भूमि में सयुक्त तोर से 5.646 हैक् भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिव 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिव 1/4 हिस्सा वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 2/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड उपरिधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रणवीर पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर हनुमानगढ।
2. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र स्व दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
4. कालूराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
5. कमलेश पुत्र स्व नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भादरराम पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
2. रजीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
4. मंजु पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
6. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
7. राजाराम पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
8. दुर्गादेवी पत्नी स्व दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
9. मैनादेवी पुत्री दीपचन्द जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
10. मोहनी पत्नी नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
11. मीरा पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
12. विनोद पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
13. कृष्णा पुत्री नोरगलाल जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
14. मनी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
15. नानू देवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर।
16. आदरराम पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. महावीर पुत्र स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. विमला पुत्री स्व भवरीदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी रणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 406 सन 2020 निर्णय दिनांक- 02.09.2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार यिका जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 112/112 की कुल 16.0360हैक जो भादर वल्द लिछमण व रोही मौजा जोखासर के खाता संख्या 41/41 की कुल 3.4400हैक चाना पत्नि भादरराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर दोनो खातों में वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिव 1/5 हिस्सा व वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिव 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 241/113 की कुल 6.9110हैक भूमि में सयुक्त तोर से 5.646हैक भूमि में वादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व प्रतिवादी संख्या 8 बहिव 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 4 व प्रतिवादी संख्या 7 बहिव 1/5 हिस्सा वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 10 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं शेष बची 1.2650हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमोलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)